

## कार्यकारी सार

- आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) देश के अन्दर आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के इरादे से अपना कारबार करने में किसी निर्धारिती/कम्पनी को कटौती के रूप में कर प्रयोजनों हेतु मूल्यहास और/अथवा परिशोधन पर विविध प्रवधान निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी प्रमुख राजस्व हानि का परिहार करने के लिए वर्तमान कर कानूनों के अनुसार ये प्रावधान उचित प्रकार उपयोग किए जाते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इस पर केन्द्रित था कि क्या प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिनियम/नियमों तथा निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तथा उचित हैं। अध्ययन से इस आश्वासन का भी पता लगाना है कि पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र सामान्य तथा विशेष परिस्थितियों यथा समामेलन, अलग होने, पुनर्निर्माण आदि के अन्तर्गत मूल्यहास की अनुमति के मॉनीटरन के लिए आयकर विभाग (आईटीडी) के अन्दर विद्यमान है।
- हमने वि.व. 10 से वि.व. 13 तक की अवधि के दौरान पूर्ण निर्धारणों और चयनित यूनिटों के अन्दर संवीक्षा निर्धारणों, अपील तथा संशोधन आदि के सभी मामलों की लेखापरीक्षा की। हमने जुलाई से सितम्बर 2013 तक की अवधि के दौरान नियमित लेखापरीक्षा हेतु लिए गए सभी सर्किल/वार्डों को कवर किया। हमने निर्धारितियों के 87,023 अभिलेखों की जांच की। इस प्रतिवेदन में ₹ 2,464.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में कमियों के 725 मामले शामिल हैं।
- अधिनियम में विभिन्न परिसम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों के ब्लाक पर मूल्यहास की यथा प्रावधानित दरें उन्हीं परिसम्पत्तियों के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से भिन्न हैं। हमने पाया कि अधिनियम के अनुसार मूल्यहास 6,267 मामलों में उच्च तथा 5,926 मामलों में कम था। यह अन्तर क्रमशः ₹ 57,665.41 करोड़ तथा ₹ 11,754.80 करोड़ तक था। हमने इन दरों के सुसंगतीकरण का सुझाव दिया क्योंकि निर्धारिती तथा आईटीडी कर योग्य आय के परिकलन में अतिरिक्त प्रयास करते हैं। अधिनियम में मूल्यहास अनुमत करने के अभिप्रेत प्रयोजन का भी मूल्यांकन नहीं किया गया था। (पैराग्राफ 2.2) परिसम्पत्तियों के उपयोग के आधार पर मूल्यहास की समानुपातिक अनुमति के विद्यमान न होने के कारण निर्धारितियों ने अनभिप्रेत लाभों का दावा किया है। हमने पाया कि

986 निर्धारितियों ने मार्च माह में ₹ 1,41,725.45 करोड़ की विभिन्न परिसम्पत्तियों के संयोजन किए और मार्च माह में ही खरीदी गई परिसम्पत्तियों पर केवल मार्च माह के लिए यथानुपात आधार पर ₹ 2,602.61 करोड़ के स्वीकार्य मूल्यहास के स्थान पर ₹ 15,617.86 करोड़ के मूल्यहास का दावा किया (पैराग्राफ 2.3)। इसके अतिरिक्त, धर्मार्थ/धार्मिक न्यासों तथा व्यक्तियों के संघ के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति में असंगतियां हुई हैं (पैराग्राफ 2.4)।

- मूल्यहास तथा परिशोधन की अनुमति से सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों और सीबीडीटी द्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों/निर्देशों/उच्चतम न्यायालय तथा क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों के अनुपालन में अनेक गलतियां देखी गई थी।
  - 20 निर्धारितियों ने परिसम्पत्तियों, जो किंचित उनके स्वामित्व में नहीं थीं, पर मूल्यहास का दावा किया जिसे अनुमत किया गया और परिणामस्वरूप उस सीमा तक आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 92.79 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 3.2)।
  - निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने परिसम्पत्तियों, जो कारबार में उपयोग नहीं की गई थीं, पर 35 निर्धारितियों को मूल्यहास अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 43.96 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 3.3)।
  - हमने 29 मामलों में परिसम्पत्तियों की वास्तविक कीमत तथा अवलेखित मूल्य के निर्धारण में गलतियां देखीं जिनके परिणामस्वरूप मूल्यहास की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹ 85.47 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 3.4)।
  - 18 मामलों में मूल्यहास परिकलित करते समय एओ ने परिसम्पत्तियों की लागत से प्राप्त पूँजीगत निवेश आर्थिक सहायताओं को कम नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 35.65 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 3.6)।
  - 44 निर्धारितियों ने आय की गणना में मूल्यहास के सही आंकड़े अपनाने में गलतियां कीं जिनमें ₹ 212.97 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 3.8)।

- 142 मामलों में एओ ने ऐसी दरों पर मूल्यहास अनुमति किया जो आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 1 में दी गई दरों से अधिक थीं। गलती के परिणामस्वरूप मूल्यहास की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹ 107.85 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 3.9)।
- मूल्यहास अग्रेनीत करने/मुजरा करने, जिसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ, में हमने 87 मामलों में ₹ 694.65 करोड़ का कर प्रभाव पाया था (पैराग्राफ 3.11)।
- 26 निर्धारितियों ने पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में अनियमित दावा किया जिसे अनुमति किया गया जिसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 344.97 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 3.13)।
- अधिनियम निर्धारितियों को अतिरिक्त मूल्यहास का भी प्रावधान करता है और यहाँ भी हमने निर्धारणों में एओ द्वारा की गई गलतियां पाईं। हमने पाया कि एओ ने 99 मामलों में अतिरिक्त मूल्यहास स्वीकार करने में गलतियां कीं। परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 656.19 करोड़ (पैराग्राफ 3.19) का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। 13 निर्धारितियों के मामलों में एओ ने कर अवकाश के दौरान अतिरिक्त मूल्यहास अनुमति नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.33 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 3.20)।
- निर्धारितियों को परिशोधन की अनुमति के संबंध में हमने पाया कि 12 निर्धारितियों के मामले में एओ ने धारा 35डी के अन्तर्गत परिशोधन व्यय अनियमित रूप से अनुमति किया जिसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 6.70 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 4.2)। हमने यह भी पाया कि चार निर्धारितियों ने अनियमित रूप से दावा किया और धारा 35डीडीए के अन्तर्गत परिशोधन के प्रति व्यय अनुमति किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 5.38 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (पैराग्राफ 4.3)।
- हमने मूल्यहास तथा परिशोधन की अनुमति से सम्बन्धित आईटीडी के नियंत्रण मुद्दों का भी उल्लेख किया है (पैराग्राफ 5.2 से 5.4)।

- अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यहास तथा परिशोधन की अनुमति देश के अन्दर आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने को अभिप्रेत है परन्तु आईटीडी में किसी मानीटरन तन्त्र के अभाव में प्रयोजन की उपलब्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त मूल्यहास तथा परिशोधन से संबंधित प्रावधानों को सही प्रकार लागू करने में एओ ने गलतियां कीं जिसके परिणामस्वरूप अवनिर्धारण हुए। सीबीडीटी को निर्धारणों की गुणवत्ता में सुधार और गलतियों के प्रभाव को कम करने के लिए एओ के क्षमता निर्माण की सम्भावना की खोज करने की आवश्यकता है।